[2021] 11 एस.सी.आर 968

सिटिजेन्स फॉर ग्रीन दून

बनाम

भारत संघ और अन्य
(2021 की सिविल अपील सं. 6497-6498)
16 नवंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और विक्रम नाथ,जे.जे.]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की सिविल अपील सं. 6497-6498.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित 06.10.2021 के मूल आवेदन सं. 240/2021 सह आई.ए. संख्या 180/2021 के निर्णय और आदेश से

सुश्री अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता। ऋत्विक दत्ता, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री आरती कृपा कुमार, सुश्री संजना ग्रेस थॉमस, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

के. के. वेणुगोपाल, ए.जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए.एस.जी., अनमोल चंदन, सुश्री चिन्मयी चंद्र, अंकुर तलवार, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री मधु स्वेता, सुश्री रवीना दीवान, सुश्री आस्था त्यागी, दिनेश चंदर त्रेहन, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

डॉ.धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. अपीलार्थी ने पूर्व में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की थी-2021 की रिट याचिका संख्या 529-जिसमें चुनौती दी गई थीः *(i)* चरण-1 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय[1] द्वारा 29 सितंबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 को जारी वन मंजूरी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72ए का हिस्सा बनने वाली सड़क के हिस्सों के संबंध में; और *(ii)* राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा 5 जनवरी 2021 को जारी वन्यजीव मंजूरी। यह देखते हुए कि प्राथमिक चुनौती चरण । वन मंजूरी के लिए थी, इस न्यायालय ने 7 सितंबर 2021 के अपने आदेश द्वारा चरण-। वन मंजूरी को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण[2] का रुख करके उचित कार्यवाही

---

1 पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा सी.सी.

2 "न्यायाधिकरण"

अपनाने के लिए अपीलकर्ताओं की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा। उपायुक्त स्तर पर वन्यजीव मंजूरी को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ता को अनुमति देते हुए निर्देश भी जारी किए गए थे।

2. इस न्यायालय के आदेश के बाद, अपीलार्थी ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010[3] की धारा 14 (1) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए 2021 के मूल आवेदन संख्या 240 में न्यायाधिकरण का रुख किया। न्यायाधिकरण ने 6 अक्टूबर 2021 के अपने आदेश द्वारा चुनौती पर विचार करने से इनकार कर दिया, मुख्य रूप से इस आधार पर कि अपीलकर्ताओं ने धारा 16 के तहत इसकी अपीलीय अधिकारिता के बजाए धार 14 की मौलिक अपीलीय अधिकारिता को अपनाकर इसे दरकिनार करने का प्रयास किया था। न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण उसके निर्णय के निम्नलिखित अंश में निहित हैं:

> "6. हमने विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हम अपील के समाधान को दरकिनार करते हुए आवेदन पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। इसके अलावा, आवेदक ने स्वयं उल्लेख किया है कि जहां तक रैखिक परियोजनाओं का संबंध है, सरलीकृत प्रक्रिया उपयुक्त है। चरण । की मंजूरी को ही पेड़ों की कटाई के लिए कार्य अनुमति माना जाता है। इस प्रकार,यदि मंजूरी वैध रूप से दी गई है, तो इस प्रकार दी गई अनुमति के दायरे में पेड़ों की कटाई को कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ई.सी. के अनुदान को चुनौती देने के अभाव में, यह निवेदन कि ई.सी. को गलत तरीके से मंजूरी दी गई है या जिन रिपोर्टों के आधार पर ई.सी. को मंजूरी दी गई है, वे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह परियोजना सड़क के उन्नयन और विस्तार के लिए है, जिसमें कुछ निर्माण भी शामिल हैं। इस अनुमान का कोई कारण नहीं है कि सड़क निर्माण के लिए निर्धारित मानदंडों एवं सावधानियों का पालन नहीं किया जाएगा। इस तरह के किसी भी उल्लंघन को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। यदि इस तरह का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उसको कानून के अनुसार हमेशा चुनौती दी जा सकती है।
>
> 7. निस्संदेह, एक भी पेड़ काटना चिंता का विषय है। पेड़ों की पारिस्थितिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, हरेक पेड़ की रक्षा की के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, कुछ स्थितियों में, कानून के तहत पेड़ों को काटने की अनुमति है। साथ ही, कुछ परिस्थितियों में कानून के तहत पेड़ों की

[3] एन.जी.टी. अधिनियम

कटाई की अनुमति होती है, जिसमें वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमति आवश्यक होता है। वैधानिक शर्तों का पालन करते हुए सभी सावधानियों को बरतना होता है जिसमें जहां भी संभव हो वनीकरण और स्थानांतरण सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है। वर्तमान मामले में, एफ.सी.को मंजूरी देने वाले आदेश में आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है। इन परिस्थितियों में,इस न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है। आवेदन को खारिज कर दिया गया।"

3. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री अनीता शेनॉय ने कहा किः

(i) केवल वन (संरक्षण) अधिनियम 1980[4] की धारा 2 के तहत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकार द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय के विरुद्ध धारा 16(ई) के तहत न्यायाधिकरण में अपील की जाती है।

(ii) एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. का दिनांकित 28 अगस्त 2015 का परिपत्र यह निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार द्वारा एफ.सी. अधिनियम के तहत दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को पेड़ काटने और काम शुरू करने के लिए कार्य अनुमति माना जा सकता है यदि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धन, सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्धारित वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) और सैद्धान्तिक रूप से मान्य अन्य शर्तों को उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पूरा किया जाता है।

(iii) उपरोक्त परिपत्र वनों के रैखिक विचलन से जुड़ी परियोजनाओं के संदर्भ में बनाया गया है, जैसे कि सड़क बनाना तथा ऐसी अन्य गतिविधियां;

(iv) हालांकि, परिपत्र में यह प्रावधान है कि एफ.सी.अधिनियम की धारा 2 के तहत आने वाले वन क्षेत्र में किसी भी गैर-वन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया हो और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया हो; और

(v) वर्तमान मामले में, वास्तव में, पेड़ों की कटाई के आदेश को सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं था और इसलिए, चरण-। वन मंजूरी का

---

4 "वन(संरक्षण)अधिनियम"

अनुदान अपने आप में न्यायाधिकरण के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4. उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा मूल आवेदन को खारिज करना न्यायसंगत नहीं था विशेष रूप से जब न्यायाधिकरण द्वारा पहले के निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण यह है कि एफ.सी.अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के आदेश के अभाव में, कोई भी अपील अनुरक्षणीय नहीं होगी।

5. उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, यह भी आग्रह किया गया है कि 11 सितंबर 2021 को विभागीय वन अधिकारी[5] के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम 2005[6] के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें इस बारे में जानकारी का एक विशिष्ट प्रकटीकरण की मांग की गई थी कि क्या पेड़ों की कटाई के लिए कोई अनुमति दी गई थी। 11 अक्टूबर 2021 को दायर इस आवेदन पर डी.एफ.ओ. का जवाब था कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। फिर भी, उत्तरदाताओं की ओर से इस कार्यवाही में दायर किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों में, पेड़ों की कटाई की अनुमति देने वाले डी.एफ.ओ. के 27 अगस्त 2021के एक आदेश को रिकॉर्ड में रखा गया है। इस पृष्ठभूमि में, यह आग्रह किया गया है कि यह अकल्पनीय है कि कैसे डी.एफ.ओ. ने, यदि उन्होंने 27 अगस्त 2021 को पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी, तो 11 अक्टूबर 2021 को आर.टी.आई. के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कोई अनुमति नहीं दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 28 अगस्त 2015 के परिपत्र के अधिदेश के बावजूद, 27 अगस्त 2021 के आदेश को सार्वजनिक किए बिना पेड़ काटने की व्यापक कवायद की गई है। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि इसके परिणामस्वरूप, न केवल अपीलार्थी बल्कि अन्य पक्षों को अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण का रुख करने से रोक दिया गया है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के.के.वेणुगोपाल ने निम्नलिखित घटनाक्रमों की ओर न्यायालय का आकर्षित किया है:

(i) स्टेज-I मंजूरी जो 23 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी और चरण-II मंजूरी जो 20 जुलाई 2021 को जारी की गई थी, दोनों को एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी.के वेबसाइट पर रखा गया है;

---

5 "डी.एफ.ओ."

6 "आर.टी.आई. अधिनियम"

(ii) 27 अगस्त 2021 को डी.एफ.ओ. द्वारा पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई थी,

जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस कार्यवाही में दायर जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न किया गया था;

(iii) इन परिस्थितियों में आवश्यक मंजूरी की प्राप्ति के बाद पेड़ों की कटाई जारी है जैसे कि, चरण । के साथ-साथ चरण-॥ की मंजूरी और पेड़ों की कटाई के लिए एक विशिष्ट अनुमति, जो 27 अगस्त 2021 को दी गई थी, जिसपर 28 अगस्त 2015 के परिपत्र में विचार किया गया था;

(iv) गणेशपुर और देहरादून के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72ए के खंड पर बीस किलोमीटर लंबे गलियारे में से 12 किलोमीटर से अधिक ऊंचे राजमार्ग पर वन्यजीवों के लिए अंडरपास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए,वन्यजीवों को परेशान करने वाली परियोजना से दूर, यह परियोजना जैसी कि कल्पना की गई है, वास्तव में, राजमार्ग पर अतीत में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

7. अतः महान्यायवादी द्वारा यह आग्रह किया गया है कि आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद किसी सार्वजनिक परियोजना पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

8. शुरुआत में, प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटने के दौरान,एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 16 के तहत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति की अवधारणा करना आवश्यक हो जाता है। धारा 16 (ई) में कहा गया है कि एफ.सी.अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय (एन.जी.टी.अधिनियम के प्रारंभ के बाद) से व्यथित व्यक्ति तीस दिनों की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। इसलिए, धारा 16(ई) के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा एफ.सी अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों के तहत किए जा रहे आदेश या निर्णय पर अपीलीय समाधान का अधिकार उत्पन्न होता है। एफ.सी.अधिनियम की धारा 16 (ई) के प्रावधानों के अलावा, एफ.सी.अधिनियम की धारा 2ए अनुच्छेद 2 के तहत राज्य सरकार या किसी भी अन्य प्राधिकार के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति को अपील का समाधान प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है। एफ.सी.अधिनियम की धारा 2ए, एन.जी.टी.अधिनियम की धारा 16(ई) के समान है।

एफ.सी.अधिनियम की धारा 2 (ii)में कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा,यह आदेश नहीं देगा कि "किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी गैर-वन उद्देश्य के लिए किया जा सकता है"। इसलिए धारा 2 के प्रावधानों में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित करने पर विचार किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ वन भूमि को गैर-वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने या उपयोग करने की अनुमति दी जा सके। इसलिए, जब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है या कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलीय समाधान उपलब्ध नहीं होगा।

9. एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. द्वारा 28 अगस्त 2015 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें वन में लगे पेड़ों की कटाई और रैखीय परियोजनाओं के उपयोग में लगाने की अनुमति देने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। परिपत्र का अनुच्छेद 2 जहां तक प्रासंगिक है, नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

> "2. तदनुसार, इस मंत्रालय के 7 मई 2015 के सम संख्या के उक्त पत्र/दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में, मुझे निम्नानुसार कहने का निर्देश दिया गया हैः
>
> (i) वनों के उपयोग में रैखिक बदलाव करते हुए परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा जारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (एफ.सी.अधिनियम) के तहत सैद्धांतिक मंजूरी जैसे कि नई सड़कें बिछाना, मौजूदा राजमार्गों को चौड़ा करना, पारेषण लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें, ऑप्टिक फाइबर केबलिंग, रेलवे लाइनें आदि को पेड़ काटने और कार्य आरंभ करने के लिए कार्य अनुमति के रूप में माना जा सकता है, यदि प्रतिपूरक संवर्धन, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.),वन्यजीव संरक्षण योजना,औषधीय पौधों की बौनी प्रजातियों के रोपण और सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्दिष्ट ऐसे सभी अन्य प्रतिपूरक शुल्कों के लिए आवश्यक धनराशि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त की जाती है और जहां आवश्यक हो, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए, राज्य वन विभाग के पक्ष में गैर-वन/राजस्व वन भूमि का हस्तांतरण और उत्परिवर्तन प्रभावित होता है।

(ii) उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रतिपूरक शुल्कों के बाद सैद्धांतिक रूप से उपयोगकर्ता एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और जहां आवश्यक हो, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए, राज्य वन विभाग के पक्ष में गैर-वन/राजस्व वन भूमि का हस्तांतरण और उत्परिवर्तन प्रभावित होता है, राज्य सरकार या मंडल वन अधिकारी जिसका पद विभागीय वन अधिकारी के पद से नीचे न हो, जिसका उस वन भूमि पर अधिकार क्षेत्र है, जिसका उपयोग बदलने का प्रस्ताव है, इस संबंध में विधिवत अधिकृत है। राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए वन भूमि में पेड़ काटने और एक रैखिक परियोजना का काम शुरू करने का आदेश पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार अनुमति को एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकती है बशर्ते कि - सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्धारित शेष शर्तों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में राज्य सरकार से उचित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

(iii) एफ.सी.अधिनियम की धारा 2 के तहत अनेवाले क्षेत्र में किसी भी तरह की गैर वन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उपरोक्त पैरा (ii) में निर्दिष्ट आदेश उस राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है और इसे अपनी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा गया है और कानून के अनुसार अन्य सभी आवश्यकताओं का पालन किया जाता है;

(iv) एफ.सी.अधिनियम की धारा 2ए और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (एन.जी.टी.अधिनियम) की धारा 16(ई) के उद्देश्य से आदेश वृक्ष कटाई और कार्य शुरू करने का एफ.सी.अधिनियम की धारा 2ए के तहत उपरोक्त पैरा (ii) में निर्दिष्ट आदेश होगा;

(v) एफ.सी. अधिनियम की धारा 2A के प्रावधानों और/या एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 16(ई)के अनुसार उपरोक्त पैरा (ii) में वृक्ष कटाई और वन भूमि में रैखिक परियोजना के काम को शुरू करने के लिए निर्दिष्ट किसी भी आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है;

(vi) इस तरह की अपील दायर करने की स्थिति में, पीड़ित व्यक्ति के लिए एफ.सी.अधिनियम की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए

आदेश/मंजूरी का विरोध करने का अधिकार होगा, जो उपरोक्त पैरा (ii) में निर्दिष्ट आदेश का एक अभिन्न अंग और एकमात्र आधार है;

(vii) राज्य सरकार और परियोजना प्रस्तावक इस पर आगे की कार्रवाई पर विचार जैसा कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपील सं. 7/2012 में नवंबर 2012 के अपने फैसले में निर्धारित किया गया है जिससे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एफ.सी.अधिनियम और उपरोक्त पैरा (iii) में निर्दिष्ट आदेश के तहत सार्वजनिक डोमेन में सैद्धांतिक अनुमोदन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार और परियोजना प्रस्तावक उक्त में निहित अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे;

(viii) ऐसे मामलों में राज्य सरकारें, ऐसी वन भूमि को जल्द से जल्द मोड़ने के लिए वित्त आयोग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से अंतिम/औपचारिक अनुमोदन मांगेंगी और प्राप्त करेंगी, जो किसी भी मामले में अनुदान की तारीख से पांच साल से बाद नहीं ।

10. उपरोक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2 का खंड (i) इंगित करता है कि वन भूमि के रैखिक व्यापवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जिसमें नई सड़कें बिछाना शामिल है, वित्त आयोग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी को कुछ शर्तों के अधीन पेड़ काटने और काम शुरू करने के लिए कार्य अनुमति माना जाएगा। इन शर्तों में शामिल हैं: *(i)* प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निधि का प्रावधान; *(ii)* शुद्ध वर्तमान मूल्य; *(iii)* वन्यजीव संरक्षण योजना; *(iv)* प्रजातियों और पौधों का रोपण; *(v)* सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्दिष्ट ऐसे सभी अन्य प्रतिपूरक शुल्क। *(vi)* राज्य वन विभाग के पक्ष में गैर-वन भूमि का हस्तांतरण और परिवर्तन। हालांकि, परिपत्र में बाद की शर्त से संकेत मिलता है कि वन क्षेत्र (जो एफ.सी.अधिनियम की धारा 2 के तहत आता है) में किसी भी गैर-वन गतिविधि की "अनुमति और निष्पादन" तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया हो और इसे इसके वेबसाइट पर डाल कर सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया हो।

11. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की शिकायत है कि 27 अगस्त 2021 को पेड़ काटने की अनुमति को सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा गया था, जैसा कि 28 अगस्त

2015 के परिपत्र द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसके विपरीत, जब 11 सितंबर 2021 को डी.एफ.ओ. को आर.टी.आई.अधिनियम के तहत सूचना के प्रकटीकरण के लिए एक आवेदन भेजा गया था, तो 11 अक्टूबर 2021 को इसकी प्रतिक्रिया यह थी कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। फिर वही अधिकारी, अर्थात् डी.एफ.ओ. देहरादून ने 27 अगस्त 2021 को पेड़ों की कटाई की अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया था, जिसे इस अदालत में पहली बार प्रतिवादियों द्वारा दायर अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया गया था। डी.एफ.ओ. ने आर.टी.आई. की पूछताछ के जवाब में गलत जानकारी देकर अपीलार्थियों को गुमराह किया है। पेड़ों को काटने की अनुमति सार्वजनिक डोमेन में रखी जानी चाहिए, जो अपीलार्थी के अनुसार फिर से नहीं की गई थी। अनुमति को सार्वजनिक डोमेन में रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित व्यक्तियों को इसे चुनौती देने का अधिकार होगा। अपीलार्थी की इस शिकायत का कोई खंडन नहीं है। गोपनीयता का पर्दा पर्यावरण मंजूरी के लिए अच्छा संकेत नहीं देता है, क्योंकि यह कानूनी उपायों का उपयोग करके उन्हें चुनौती देने के व्यक्तियों के अधिकार को छीन लेता है। इस बीच पेड़ों की कटाई तेजी से जारी रही। पारदर्शिता की यह कमी, जो जवाबदेही की कमी की ओर ले जाती है, "कानून के पर्यावरणीय शासन" के बिल्कुल विपरीत है, जो सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। **एच.पी.बस-स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण** बनाम **कैंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति**[7] के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हममें से एक हिस्सा था (डी.वाई.चंद्रचूड,जे.),ने "कानून के पर्यावरणीय शासन" का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में कियाः

"49. कानून का पर्यावरणीय नियम एक विशेष स्तर पर कानून के नियम की अवधारणा का एक पहलू है। लेकिन इसमें विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं जो पर्यावरणीय नियम के लिए अद्वितीय हैं, ऐसी विशेषताएं जो अपनी तरह की हैं। कानून का पर्यावरणीय नियम आवश्यक उपकरण बनाने का प्रयास करता है – पर्यावरणीय संरक्षण पर संवाद के लिए एक संरचना तैयार करने के लिए वैचारिक, प्रक्रियात्मक और संस्थागत उपकरण... **उल्लेखनीय है कि यह पालन किए जाने वाले नियमों, प्रक्रियाओं और मानदंडों की ओर ध्यान दिलाता है जिनका पालन पर्यावरण पर विनियामक शासन प्रदान करनेवाली संस्थाएं करती हैं। ऐसा करने में, यह पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर खुले,जवाबदेह और पारदर्शी निर्णय के प्रशासन को बढ़ावा देता है। यह सहभागिता पर आधारित शासन के महत्व को बढ़ावा देता है – यह उन लोगों की आवाज के मूल्य को बढ़ावा देता है जो पर्यावरणीय नीतियों और सार्वजनिक परियोजनाओं**

---

[7] (2021) 4 एस.सी.सी. 309

से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कानून के पर्यावरणीय नियम की संरचनात्मक रचना में मौलिक, प्रक्रियात्मक और संस्थागत तत्त्व होते हैं। विश्लेषण के साधन कानूनी अवधारणाओं से परे हैं। इस ढांचे का परिणाम इसके अंगों के कुल योग से कहीं अधिक है। एक साथ,जिन तत्वों को यह मूर्त रूप देता है, वे अस्तित्व संबंधी खतरों के विरुद्ध प्राकृतिक देन की सुरक्षा की आकांक्षा रखते हैं। क्योंकि यह इस सार्वभौमिक मान्यता पर आधारित है कि मानव अस्तित्व का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका संरक्षण,सुरक्षा और पर्यावरण का पुनर्जनन कैसे करते हैं।"

(जोर दिया गया)

12. आज की वस्तुस्थिति यह है कि पेड़ों की कटाई के लिए डी.एफ.ओ. द्वारा दी गई अनुमति को 27 अगस्त 2021 के एक पत्र के रूप में रिकॉर्ड के तौर पर रखा गया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है। 28 अगस्त 2021 के परिपत्र में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, पेड़ काटने और रैखिक परियोजनाओं का काम शुरू करने के आदेश को वित्त आयोग अधिनियम की धारा 2 के तहत एक आदेश के रूप में माना जाना है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, 27 अगस्त 2021 का आदेश अपील के समाधान के लिए उत्तरदायी है, जो अब एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 16(ई) के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष होगा। अपील न्यायाधिकरण के समक्ष है, यह परिपत्र की शर्तों द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। अपीलीय समाधान की उपलब्धता को देखते हुए प्रतिकार, अपीलार्थी ने कहा है कि वह उस अपील के समाधान को पाना चाहेगा जो न्यायाधिकरण के समक्ष उपरोक्त प्रावधानों पर आधारित है। हालांकि, यह आग्रह किया गया है कि जब तक न्यायाधिकरण द्वारा अपील का निपटारा नहीं किया जाता है, तब तक पेड़ों की कटाई की आगे की गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

13. प्रतिवादियों की ओर से इस न्यायालय द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश के अनुरोध का विरोध किया गया है। उत्तरदाता के पक्ष से श्री के.के.वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी ने आग्रह किया कि इस स्तर पर निषेधाज्ञा का कोई भी आदेश परियोजना के कार्यान्वयन में गंभीर बाधा पैदा करेगा और विशेष रूप से जब आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई हो और वन्यजीवों की रक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हों।

14. चूंकि 27 अगस्त 2021 का आदेश एन.जी.टी.अधिनियम की धारा 16(ई) और साथ-ही-साथ एफ.सी. अधिनियम की धारा 2ए के प्रावधान के तहत एक अपीलीय समाधान

के लिए उत्तरदायी है, जब ये 28 अगस्त 2015 के परिपत्र के संदर्भ में पढ़े जाते हैं, तो अपिलार्थी को ऐसा करने की स्वतंत्रता प्रदान करना उचित होगा।

15. जबकि अपीलार्थी को अपील दायर करने का उपाय पर्यवेक्षण विकास के परिणामस्वरूप उपलब्ध हो गया है जो वर्तमान कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, अर्थात् 27 अगस्त 2021 का आदेश इस न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, हमें उन कारणों के संबंध में अपना विचार व्यक्त करना चाहिए जो न्यायाधिकरण द्वारा मूल आवेदन को अस्वीकार करने के साथ जुड़े हुए हैं। न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा धारा 14 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए आवेदन किया गया था, जिसके तहत इसे सिविल मामलों पर विचार करने का अधिकार है, जहां पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन समेत, पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न, शामिल है और ऐसा प्रश्न अनुसूची । में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है। अनुसूची । में निर्दिष्ट अधिनियमों में एफ.सी.अधिनियम शामिल है। इस प्रकार, जहां एफ.सी.अधिनियम के कार्यान्वयन के आधार पर पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जाता है, वहां धारा 14 के तहत न्यायाधिकरण की मूल अधिकारिता को भी लागू किया जा सकता था।

16. न्यायाधिकरण ने अनुचित रूप से धारा 14 के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी ने धारा 16 के तहत अपील के समाधान को दरकिनार करने का प्रयास किया। **विमल भाई** बनाम **भारत संघ**[8] के मामले में न्यायाधिकरण का निर्णय इस मामले को संदेह से परे रखा है जिसमें कहा गया है कि "अपील दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण केवल उस तारीख से शुरू होगा जब इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाएगा, साथ ही उस तारीख से जब गैर-वन उद्देश्य के लिए वन मंजूरी और वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति को मामले के अनुरूप संबंधित राज्य सरकार या एम.ओ.ई.एफ. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया हो।" हालांकि, स्पष्टता के लिए, हमने इस निर्णय के पहले भाग में चर्चा में कानूनी स्थिति को विराम दिया है।

17. न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर भी खारिज कर दिया कि जहां तक रैखिक परियोजनाओं का संबंध है, एक सरल प्रक्रिया उपयुक्त होती है और चरण-। अनुमोदन को ही पेड़ों की कटाई के लिए कार्य अनुमति माना जाता है। अतः न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यदि मंजूरी वैध रूप से दी गई है, तो इसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उस समय न्यायाधिकरण के समक्ष पेड़ों की कटाई

---

[8] 2012 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.जी.टी. 77, पैरा 30-32

की अनुमति देने का आदेश, जिसे डी.एफ.ओ. द्वारा 27 अगस्त 2021 को पारित किया गया था, न तो रिकॉर्ड में रखा गया था और न ही यह सार्वजनिक डोमेन में था। इसलिए, कानून के प्रावधानों के अनुरूप, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण ने धारा 14 के तहत समाधान करते हुए चरण 1 की चुनौती को अस्वीकार करके गलती की थी।

18. उपरोक्त कारण से, हम अपील की अनुमति देते हैं और 6 अक्टूबर 2021 के न्यायाधिकरण के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं, और नए सिरे से निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण की फाइल में 2021 का मूल आवेदन संख्या 240 को पुनर्स्थापित करते हैं। इसके अलावा, हम अपीलार्थी को 27 अगस्त 2021 को डी.एफ.ओ. द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए दी गई अनुमति को एफ.सी.अधिनियम की धारा 2ए के प्रावधानों के साथ पठित एन.जी.टी.अधिनियम की धारा 16(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में चुनौती देने (28 अगस्त 2015 के परिपत्र की सामग्री के साथ) की स्वतन्त्रता भी प्रदान करते हैं।

19. जहां तक स्थगन का प्रश्न है, हम अपीलार्थी को न्यायाधिकरण का रुख करने के लिए कुछ अवसर देने के लिए इच्छुक हैं, ताकि वे पेड़ों की कटाई के आदेशों को चुनौती देने के लिए उनके पास उपलब्ध सभी प्रस्तुतियों का आग्रह कर सकें। हम इस स्तर पर गुण-दोष पर कोई भी अवलोकन करने से बच रहे हैं, ताकि पक्षों के अधिकारों और विवादों को बाधित न किया जा सके। हालांकि अपीलार्थी को न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए, ऊपर दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में, पेड़ों की आगे कटाई पर रोक लगाने वाला एक अंतरिम आदेश होगा, जो 26 नवंबर 2021 तक लागू रहेगा। तथापि, हम विशेष रूप से निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी अपनी आपत्तियों की प्रकृति को संदेह से परे रखने के लिए, आयोग के समक्ष चुनौती के आधार को सूचीबद्ध करते हुए संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियां दायर करेगा। न्यायाधिकरण को योग्यता के आधार पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें चुनौती के प्रत्येक आधार के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा उनके लिखित प्रस्तुतियों के दौरान उठाया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 27 अगस्त 2021 का आदेश केवल इस न्यायालय में कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड पर रखा गया है, हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि अपील एक सप्ताह की अवधि के भीतर दायर की जाती है, तो न्यायाधिकरण योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करेगा और इसे सीमा के आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा। अपीलार्थी द्वारा अपील दायर किए जाने के अगले कार्य दिवस पर

न्यायाधिकरण के समक्ष अपील सूचीबद्ध की जाएगी। अपीलार्थी अंतरिम आदेशों के लिए न्यायाधिकरण से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

21. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया

देवेंद्र कुमार पाठक